न्यायालय, अंचल अधिकारी, नामकुम (राँची)

अनुसूची 14–फारम सं0 562

आदेश – पत्रक
(अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– ता0..........................से...........................तक

जिला :– रॉची । वाद सं0 – ....29...../22–23

केस का प्रकार – जमाबंदी संशोधन / निरस्तीकरण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21.01.23	इस वाद की कार्यवाही राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई है। जाँच प्रतिवेदनानुसार निम्नांकित भूमि की जमाबंदी सुखराम महतो वल्द स्व॰ लखन महतो के नाम पर पंजी–II में दर्ज है। जिसपर संजय कच्छप पिता स्व॰ लुटुवा कच्छप के द्वारा दावा किया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन श्री नामा सुसारेन .होरो, माननीय स. वि. स. द्वारा दि॰ 23.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं॰-रा.-14 के संदर्भ में है।	तामिला हेतु नोटिस प्राप्त 3/5 21.1.23

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	प्लॉट सं॰	रकबा
बेरमाद	251	21	477 430	0.25 ए॰ 0.65 ए॰

संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 03.02.23 को उपस्थापित करें ।

21/01/23

अंचल अधिकारी,
नामकुम।

03.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष हाजिर। उन्होंने भूमि से संबंधित राजस्व कागजात प्रस्तुत किया है। जमाबंदी रैयत द्वारा दाखिल दान पत्र सं० 6743 वर्ष 1983 का सत्यापन प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दि०- 03-03-2023 को रखें। 03/04/23 आ० आ०
03.3.23	अभिलेख प्रस्तुत। पंजी II रैयत अनुपस्थित। संजय बरवा हाजिर। जिला अवर निबंधक, राँची से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जमाबंदी रैयत को पुनः नोटिस निर्गत करें। अभि० दि० 21.03.23 को रखें। 03/03/23 आ० आ०

संजय मरवाय

श्यामलाल उरांव

21.03.2023

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। उन्हें सुना।

आवेदक का कहना है कि वे आवेदित भूमि मौजा बेरमाद, खाता सं॰ 21, प्लॉट सं॰ 477, 430 रकबा 25 डी॰ के खतियानी रैयत के वंशज है लेकिन पंजी–II रैयत के द्वारा गलत ढंग से भूमि का रजिस्ट्री कराकर नामांतरण करा लिया है एवं इस भूमि की जमाबंदी पंजी–II में विपक्षी सुखराम महतो के नाम से दर्ज है। आवेदक का यह भी कहना है कि आवेदित भूमि को जमाबंदी रैयत सुखराम महतो ने खतियानी रैयत के वंशज श्रीमती परवतिया देवी पति स्व॰ बुचुआ महतो से गलत ढंग से निबंधित दानपत्र द्वारा प्राप्त किया है। उनके अनुसार उक्त दानपत्र अवैध है चूंकि Tribal law के अनुसार किसी महिला को खतियानी भूमि को निबंधन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी जमाबंदी रैयत के वंशज का कहना है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि को खतियानी रैयत के वंशज श्रीमती परवतिया देवी पति स्व॰ बुचुआ महतो से निबंधित दानपत्र द्वारा प्राप्त किया है एवं भूमि पर दखलकार है। उन्होंने भूमि से संबंधित निबंधित दान पत्र, अनुमति वाद, शुद्धिपत्र एवं लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदनानुसार आर॰एस॰ खतियान में मौजा बेरमाद, थाना नं॰ 251, खाता सं॰ 21 बीजा महतो वगै॰ कौम उरांव प्लॉट सं॰ 477, 430 रकबा क्रमशः 25 डी॰, 65 डी॰ बकब्जे बुचुआ महतो दर्ज है। पंजी–II के भाग I पेज नं॰ 73 में इस भूमि की जमाबंदी दाखिल खारिज केस नं॰ 23 R27/1983–84 के आधार पर दर्ज है। आवेदक संजय कच्छप पिता स्व॰ लुटुवा कच्छप के द्वारा अपने आपको खतियानी रैयत का वंशज बताकर इस भूमि पर दावा किया जा रहा है। जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तुत निबंधित दान पत्र संख्या 6743 वर्ष 1983 जिला अवर निबंधक, राँची द्वारा सत्यापित है।

उक्त तथ्यों के विवेचना से स्पष्ट होता है कि यह मामला स्वत्व का है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21/03/23

अंचल अधिकारी
नामकुम।

21/03/23

अंचल अधिकारी
नामकुम।

Digitally signed by BINOD PRAJAPATI
Date: 2023.05.08 15:58:18 +05:30
Location: 192.168.0.125